मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र. 1667/चार/चार/ब-1/97 भोपाल, दिनांक 11 अगस्त, 1997

प्रति,

प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभाग
मध्यप्रदेश

विषय :- वित्तीय वर्ष के अन्त में धनराशि को सिविल जमा शीर्ष में जमा कराने की प्रवृत्ति पर रोक.

महालेखाकार ने वर्ष 1987-88 के प्रतिवेदन में आपत्ति उठायी है कि समय-समय पर विभागों द्वारा व्यय करने के उपरान्त शेष राशि को सिविल जमा में जमा किया जाता है और धन को समय पूर्व आहरण से न केवल बिना व्यय किये ही अनुदानों के विरुद्ध व्यय की स्थिति होती है तथा परिणामत: कार्यक्रमो/योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है जिससे विधान मण्डल को केन्द्रीय सहायता के दावे के मामले में केन्द्र सरकार को लेखाओं की गलत तस्वीर भी प्रस्तुत होती है.

2. इस आपत्ति के संबंध में वित्त विभाग द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जिस राशि का वित्तीय वर्ष में किन्ही कारणों से व्यय किया जाना संभव नहीं है, के संबंध में राशि प्रतिवर्ष 31 जनवरी तक यदि समर्पित की जाती है तो वित्त विभाग उस मद में समान राशि को आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक अनुमानों में शामिल करेगा. इस से वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि के लेप्स होने की संभावना से के-डिपाजिट/सिविल डिपाजिट में जमा कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और वास्तविक व्यय ही लेखाओं में दिखाई जा सकेगी. यह व्यस्था केवल योजना मद के लिए ही लागू होगी. उपरोक्त स्थिति में के-डिपाजिट में राशि जमा करने हेतु प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा.

3. अत: समस्त विभागों से अनुरोध है कि भविष्य में योजना से-संबंधित संभावित राशि जो वित्तीय वर्ष के समापन तक व्यय की जाना संभव न नहो तत्संबंधी जानकारी वित्त विभाग को प्रतिवर्ष दिनांक 31 जनवरी तक समर्पण आदेश सहित उपलब्ध करा दी जाय.

हस्ता./-
(स्नेहलता श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्र. 1737/1667/चार/ब-1/97 भोपाल, दिनांक 11अगस्त, 1997

प्रतिलिपि :-

अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी/वित्त विभाग बजट शाखा-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

(आर. एन. पचौरी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.